आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–304 / 2022

अकबर गद्दी उर्फ अकबर अली

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.02.2023	प्रस्तुत अपीलवद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.–5469 / 2020 में दिनांक 17.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं0–28 / 2019 में दिनांक 20.11.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है, जिस आदेश से जिला दण्डाधिकारी, द्वारा अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति हस्तांतरण आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 17.10.2022 में अंकित है कि:– **" It is needless to state that in case appropriate appeal is filed within a period of six weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits and shall not be impeded by the issue of limitation and shall dispose off the same within a period of 12 weeks, thereafter."** माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई	

WEB COPY NOT OFFICIAL

एवं अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वे (अपीलकर्ता) एक व्यापारी है तथा उन्हें अपने काम से हमेशा बाहर जाना पड़ता है। अपीलकर्ता के पिता वृद्ध है उन्हें रायफल रखने में समस्या होती है। उनके पिता के नाम से धारित अनुज्ञप्ति को अपीलकर्ता अपने नाम पर हस्तांतरण करवाने हेतु एक आवेदन जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को दिया। उक्त आवेदन पर जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्रतिवेदन की मांग की। थाना प्रभारी, बैरिया, अंचल निरीक्षक, बेतिया, पुलिस उपाधीक्षक, बेतिया एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया ने अपीलकर्ता के पक्ष में अनुशंसा किया। परंतु जिला दंडाधिकारी द्वारा इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। आगे इनका यह भी कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने परिवार के और सदस्यों का सहमति पत्र भी दाखिल किया गया था एवं उनके (अपीलकर्ता) विरूद्ध कभी किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया है तथा इन्होंने अनुज्ञप्ति हेतु सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है, फिर भी जिला दंडाधिकारी ने इनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है, जो गलत है ।

वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार आर्म्स हेतु अनुज्ञप्ति देना या न देना जिला दण्डाधिकारी के अभिमत पर निर्भर करता है, जिससे जिला दण्डाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के पिता अनुज्ञप्तिधारी हैं । उनके अनुज्ञप्ति को अपने (अपीलकर्ता) नाम हस्तांतरण हेतु अपीलकर्ता ने जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के समक्ष आवेदन दिया था, जिसे अपने मुखर

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश से जिस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है उसमें अंकित है किः–

''माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.10.2019 को करते हुए इनके आवेदन का निष्पादन 12 सप्ताह में करने का निदेश है। यहाँ यह भी अंकित करना समिचिन होगा कि इनके उपस्थित होने की तिथि 29.01.2019 के उपरांत लगभग 11 माह व्यतीत हुआ है, किन्तु इस अवधि में भी इनके द्वारा पारिवारिक सूची एवं उसमें अंकित सभी सदस्यों का शस्त्र हस्तांतरण संबंधी शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है जो इनके स्तर से बरती गयी शिथिलता का पर्याय है एवं अपनी मांगो के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना माननीय उच्च न्यायालय के ***Precious Time*** *की क्षति पहुँचाना है। इस तरह आवेदक द्वारा पारिवारिक सूची एवं पारिवारिक सूची के आलोक में शस्त्र हस्तांतरण के संबंध में शपथ पत्र समर्पित करने में असफल रहने के कारण इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति का* ***Transfer*** *आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।''*

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उन्हे जान माल की खतरा है इसलिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य (कोई सनहा/प्राथमिकी) इस न्यायालय/जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह माना जा सके की उन्हे अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। निम्न न्यायालय के आदेश में अंकित है कि पुलिस प्रतिवेदन में भी "Perception of threat" का कोई उल्लेख नहीं है। वैसे भी शस्त्र अनुज्ञप्ति पिता से पुत्र को स्थानांतरण किया जाना किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि यह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदक की अनुज्ञप्ति आवश्यकताओं का आकलन करके अपने विवेक से लिया जाने वाला निर्णय है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL